न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्यां 234/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जेठाराम पुत्र रामाराम की वारिस श्रीमती शांति पुत्री स्व0 जेठाराम पत्नी तेजांराम जाति मीणा निवासी ग्राम पेणांवा तहसील व जिला पाली		1– ग्राम पंचायत डरी जरिये सरपंच 2– मृत मोडाराम के का0मुकाम– 2.1–लच्छा पुत्र मोडाराम 2.2–प्रभू पुत्र मोडाराम जातियान मीणा. 3 मृत छतरी पुत्री अमरसिह के का0म0 3.1–नाथूसिह पुत्र छतरसिह जाति पुरोहित निवासी गांव चुण्डा तहसील आहोर जिला जालोर 4– मृत जयरूप के का0मुकाम – 4.1–मृत सोहनसिह पुत्र जयरूप के का0मु0– 4.1.1–लादूसिह पुत्र सोहनसिह निवासी गांव चुण्डा तहसील आहोर जिला जालोर 4.1.2–हंसुसिह पुत्र सोहनसिह 4.1.3–शोभाकंवर पुत्री सोहनसिह 4.1.4–विमला कंवर पुत्री सोहन सिंह निवासी गांव चुण्डा तहसील आहोर हाल निवासी खिवांदी तहसील सुमेरपुर जिला पाली 4.1.5–सविता कंवर, पुत्री सोहन सिंह निवासी गांव बलाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली 4.1.6–सारिका पुत्री सोहनसिह पत्नी सुशालसिह निवासी गांव साण्डेराव तहसील सुमेरपुर 4.1.7–गुडीया कंवर पुत्री सोहनसिह निवासी गांव खिवांदी तहसील सुमेरपुर 4.2– बाबूसिह पुत्र जयरूप 4.3– सुआ पुत्री जयरूप 4.4– भवंरी पुत्री जयरूप 4.5– जमना पुत्री जयरूप 4.6– दाखू पुत्री जयरूप 4.7–छगनी पुत्री जयरूप रेस्पो0 4/1 व 4/2 से 4/7 समस्त जातियांन रावणा राजपूत निवासीगण गांव चुण्डा तहसील आहोर, जिला जालोर 5 मृत जीवा पुत्र चमना के का0मुकाम– 5.1–मृत गेवा पुत्र जीवा के का0मुकाम– 5.1.1– विक्रम पुत्र गेवाराम निवासी चुण्डा तहसील आहोर जिला जालोर 5.1.2–मनीष पुत्र गेवाराम निवासी चुण्डा तहसील आहोर जिला जालोर 5.1.3–भंवरी पुत्री गेवाराम निवासी गांव नोसर तहसील आहोर जिला जालोर 5.1.4 इन्द्रा पुत्री गेवाराम निवासी गांव चुण्डा तहसील आहोर जिला जालोर 5.1.5– गुनी पुत्री गेवाराम निवासी गांव चुण्डा तहसील आहोर जिला जालोर 5.2– खेताराम पुत्र जीवा 5.3– जमना बेवा जीवा

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

		5.4–देवी पुत्री जीवा 5.5– मृत नैनु पुत्री जीवा नाई निवासी चुण्डा **लाऔलाद फोत** 5.6– मृत सुआ पुत्री जीवा नाई निवासी चुण्डा **लाऔलाद फौत** 6– स्वरूप पुत्री भीकाजी जाति कुम्हार निवासी गांव चुण्डा तहसील आहोर जिला जालोर 7– मृत प्रेमा पुत्र पदमा जाति कुम्हार के का0मुकाम– 7.1– कपूराराम पुत्र प्रेम कुमार 7.2–मृत लक्ष्मी पुत्री प्रेमकुमार के का0मु0 7.2.1–शंकरलाल पुत्र मानाजी कुम्हार निवासी निम्बला तहसील आहोर जिला जालोर 7.3– मृत चुन्नीबाई पुत्री प्रेमा कुम्हार के का0मुकाम – 7.3.1–छोगा पुत्री चुन्नीबाई 7.3.2–फूलाबाई पुत्री चुन्नीबाई 7.3.3–डुंगरराम पुत्र गेनाराम कुम्हार निवासीगण चंदूवाल तहसील रेवदर जिला सिरोही 7.4– चैनी बेवा जोईता कुम्हार 7.5– धन्नाराम पुत्र जोईता कुम्हार 7.6– फुली पुत्री जोईता कुम्हार 7.7–पकाराम पुत्र जोईता कुम्हार 7.8–पवनी पुत्री जोईता कुम्हार 7.9–पकु पुत्री जोईता कुम्हार 7.10–पुरकी पुत्री जोईता कुम्हार 7.11–पुनी बेवा बाबूलाल कुम्हार 7.12–उदिया पुत्र बाबूलाल कुम्हार 7.13–प्रकाश पुत्र बाबूलाल कुम्हार 7.14–मनोहर पुत्र बाबूलाल कुम्हार 7.15–हिम्मता पुत्र बाबूलाल कुम्हार 7.16–निरमा पुत्री बाबूलाल कुम्हार 7.17–पुष्पा पुत्री बाबूलाल कुम्हार 7.18–सीता पुत्री बाबूलाल कुम्हार 7.19–भावना पुत्री बाबूलाल कुम्हार समस्त जातियान कुम्हार निवासीगण गांव चुण्डा तहसील आहोर जिला जालोर 8–मृतक मोडा पुत्र पूना भांबी के का0मु0 8.1–मृतक अमराराम पुत्र मोडाराम भांबी के का0मुकाम– 8.1.1–इन्द्रा पुत्री अमराराम गावं बिठुडा तहसील आहोर जिला जालोर 8.2– कन्या पुत्री मोडाराम जाति भांबी निवासी गांव चुण्डा तहसील आहोर, जिला जालोर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर पाली द्वारा नामांतरकरण अपील संख्या 18/2011 अनवान जेठाराम बनाम ग्राम पंचायत डरी वगैरा मे दिनांक 13–7–2015 को पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—श्री मालमसिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2—श्री मूल सिह पंवार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2/1, 3/1 की ओर से ।
3—श्री एन.ए.राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0सं0 7.2.1 एवं 7.3.2 की ओर से।
4—शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 3—12—2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट जेठाराम ने मौजा पेणावा तहसील पाली के नामांतरकरण संख्या 1 पर सरपंच ग्राम पंचायत डरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9—10—1961 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत की थी । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्मन तामिली एवं कायम मुकाम की कार्यवाही एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जवाब मे चल रही थी, जिसमे आगामी तारीख पेशी 4—6—2015 को प्रार्थना पत्र मे जवाब हेतु मुकर्रर थी उसके बाद पत्रावली को दिनांक 13—7—15 को पेशी पर लेते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जिसमे अपीलांट जेठमल के दिनांक 4—11—2012 को फोत होने के बाद दिनांक 28—5—2014 को करीब डेढ वर्ष बाद कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे विलंब का जो कारण दर्शित किया है, वह कारण संतोषप्रद नही है । इसके अलावा अन्य रेस्पो0 के भी फौत हो जाने पर कायम मुकाम को रेकर्ड पर नही लिये जाने के कारण अपीलांट की उक्त अपील एबेट हो जाने से खारीज कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 13—7—2015 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट ने अपनी ओर से लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली है । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील के अपीलाधीन काल मे अपीलांट जेठाराम का देहांत हो गया था, जिस पर वर्तमान अपीलार्थियां शांतिदेवी ने अपीलांट बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा अपीलांट के पक्ष मे अपीलांट मृतक जेढमल ने वसीयत बक्शीश कर दिया था । वकील अपीलांट ने लिखित बहस मे कथन किया कि पत्रावली तलबी मे विचाराधीन होते हुए जेठाराम की मृत्यु हो जाने से समय पर रेस्पो0 की फौतेदगी पर कायम मुकाम रेकर्ड पर लाने की कार्यवाही की जाना संभव नही हुआ तथा शांतिदेवी को पक्षकार बनाये बिना पत्रावली केम्प कोर्ट मे मुकर्रर की गई तथा अपीलांट की अपील को एबेटमेंट के तहत खारीज कर अपीलार्थियां शान्तिदेवी की उपस्थिति दर्ज की गई ।

अपीलांट अधिवक्ता ने लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि अपीलार्थियां को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होनें से अंदर मयाद वर्तमान अपील पेश कर दी गई तथा कथन किया कि इसका कोई खण्डन रेकर्ड पर नही आया है तथा वर्तमान अपील के सभी रेस्पो0 को रेकर्ड पर ले लिया गया है, जिससे अपीलाधीन आदेश प्रभावहीन हो चुका है एवं यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे उपलब्ध तहसीलदार की मौका

अति० सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

रिपोर्ट अनुसार अपीलाधीन विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का होना जाहिर है तथा उक्त भूमि पर रेस्पो0 का कभी कब्जा काश्त या खातेदारी नही रही है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार को किसी भी राजस्व रेकर्ड मे रद्दोबदल करने का क्षेत्राधिकार नही है फिर भी अपीलाधीन नामांतरकरण के तहत अपीलांट की खातेदारी भूमि पर रेस्पो0 करे विधिविरूद्व तरीके से खातेदारी इन्द्राज किया गया जो विधि सम्मत नही होने से खारीज करने तथा राजस्व रेकर्ड मे पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए जेठाराम की जगह अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी लिंखित बहस मे विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि विरूद्ध पारित आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा विधिविरूद्ध पारित करते हुए अपीलांट के पिता के नाम की खातेदारी को समाप्त किया गया है, उसे बहाल करने का निवेदन के साथ अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1 पर पारित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा मे भी प्रस्तुत अपील मे लंबे समय तक रेस्पो0गण संख्या 4/1, 5/1, 5/5, 5/6, तथा 8/1 के कायम मुकाम की कार्यवाही लंबे समय तक नही करने के बाद न्यायालय हाजा मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 (4) सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर इनकी तामिली तर्क करने का पेश किया था जिस पर पक्षकारो के अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस के बाद न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश की पालना मे अपीलांट ने उक्त सभी मृत रेस्पो0गण के कायम मुकाम को रेकर्ड लेने के आदेश पारित किये गये थे ।

रेस्पो0गण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे नामांतरकरण संख्या 1 पर ग्राम पंचायत डरी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 9–10–61 के विरूद्ध अत्यधिक विलंब से अपील पेश की थी तथा विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम में कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया हुआ होने से अपीलांट की अपील को कायम मुकाम की कार्यवाही समय पर नही करने के साथ साथ विलंब के बिन्दु पर भी अपीलांट की प्रथम अपील को खारीज किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसकी आदेशिकाओं एवं आदेशिका मे ही पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2015 का भी अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने ग्राम पेणावा तहसील पाली के नामांतरकरण संख्या 1 पर सरपंच ग्राम पंचायत डरी द्वारा पारित आदेश दिनांक

9–10–1961 के विरूद्ध प्रथम अपील अपीलांट जेठाराम ने ही प्रस्तुत की थी, परंतु अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट जेठाराम का देहांत दिनांक 4–11–2012 को हो जाने से उसके कायम मुकाम वसीयत अनुसार उसकी एक पुत्री वर्तमान अपीलांट श्रीमती शांति की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का दिनांक 18–5–2014 को मय धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे मृतक जेठाराम के स्थान पर रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील रेस्पो0 को दी जाकर पत्रावली वकील रेस्पो0 की ओर से कायम मुकाम की कार्यवाही एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जवाब मे दिनांक 17–4–2015 की आदेशिका तक चल रही थी, जिसमे आगामी तारीख पेशी 4–6–2015 को प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु मुकर्रर थी उसके बाद सीधी पत्रावली दिनांक 13–7–15 को पेशी पर लेते हुए अपीलाधीन निर्णय यह उल्लेख करते हुए अपीलांट की अपील को खारीज कर दिया कि अपीलांट जेठमल के दिनांक 4–11–2012 को फोत होने के बाद दिनांक 28–5–2014 को करीब डेढ वर्ष बाद कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे विलंब का जो कारण दर्शित किया है, वह कारण संतोषप्रद नही है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना ही तकनीकी कारणो का उल्लेख करते हुए प्रथम अपील को खारीज किया है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने अपने अनेक निर्णयो मे यह प्रतिपादित किया है कि केवल तकनीकी कमियो के आधार पर पक्षकारो को न्याय से वंचित नही किया जाना चाहिये बल्कि प्रकरण के गुणावगुण को देखते हुए निर्णय किया जाना चाहिये । जिसके परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन निर्णय प्रथमदृष्टिया न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2015 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार जेठाराम के विधिक वारिसान की जांच करवाकर उन्हे भी रेकर्ड पर लेते हुए पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 3–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर